of the Railway employees, as per the existing rules;

(b) whether it is a fact that the dependant guardians of the employees are not provided primary facilities of free railway travel pass and free medical treatment in the railway hospitals;

(c) if so, what are the reasons therefor;

(d) whether Government propose to extend such facilities to the dependant guardians of railway employees; and

(e) if so, by when and whether the Members of Parliament and employees' unions have sent representations in this regard?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF): (a) to (e) Free medical facilities and Privilege Passes/ Privilege Ticket Orders for rail travel are available to family members of the railway employees and their dependant relatives (if father is not alive), as defined in the Railway Servants (Pass) Rules, 1986. Father is not included as a dependant relative under the Pass Rules. Representations have been received for inclusion of father in Privilege Passes/Privilege Ticket Orders. There is no proposal to enlarge the scope of this facility. However, dependent parents are provided with concessional medical facilities in Railway Hospitals/Health Units.

मेहता ऑफसेट वर्क्स, नई दिल्ली द्वारा रेलवे के वार्षिक प्रतिवेदनों का मुद्रण

7195. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रेलवे के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदनों को मेहता ऑफसेट वर्क्स, नई दिल्ली से मुद्रित कराए जाने के कारण हैं, जबकि भारतीय रेलवे के अंतर्गत ग्यारह सामान्य मुद्रणालय ताकि ग्यारह टिकट मुद्रणालय कार्य कर रहे हैं;

(ख) वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन के मुद्रण के लिए मेहता ऑफसेट वर्क्स, नई दिल्ली को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है; और

(ग) क्या रेलवे के मुद्रणालयों में इस प्रतिवेदन का मुद्रण करना संभव नहीं था, यदि हां, तो क्या देश के अन्य मुद्रणालयों की तुलना में उक्त मुद्रण के सस्ता होने के संबंध में कोई जांच कराई गई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ): (क) से (ग) भारतीय रेल की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा माननीय संसद सदस्यों को अन्य बजट प्रलेखों के साथ परिपत्रित किए जाने के अलावा देश के भीतर और विदेशों में स्थित महत्वपूर्ण एजेन्सियों यथा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय रेल संघ (यू.आई.सी.), एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग (एस्कैप), विभिन्न विश्व रेलवे प्रणालियों आदि को व्यापक रूप से वितरित किया जाता है। वार्षिक रिपोर्ट विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय रेल की छवि प्रतिबिम्बित करती है। अत: इस प्रकाशन की गुणवत्ता और रूप सज्जा सुनिश्चित करना आवश्यक है। ऐसी गुणवत्ता वाले कार्य को जिसे रेलों की अपनी सुविधाओं (रेलवे मुद्रणालय) के विशाल कार्यभार के साथ-साथ कड़ी समय अनुसूची के अन्तर्गत निष्पादित किया जाना अपेक्षित हो, अवसंरचना परिसीमाओं के कारण वार्षिक रिपोर्ट और लेखे-1993-94 के मुद्रण का कार्य व्यावसायिक संस्थान (मैसर्स मेहता ऑफसेट वर्क्स, नई दिल्ली) को सौंपा गया था, जैसा कि 1974 से हो रहा है। विपणन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित दिल्ली के विभिन्न "क" श्रेणी मुद्रकों में से मैसर्स मेहता ऑफसेट वर्क्स, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत किया प्रस्ताव निम्नतम था, अत: यह मुद्रण कार्य उन्हें प्रदान किया गया था, इस फर्म को वार्षिक रिपोर्ट और लेखे - 1993-94 की 5800 प्रतियां मुद्रित कराने के लिए 2,57,000/- रु. (रुपये दो लाख सत्तावन हजार केवल) का भुगतान किया गया था। प्रस्ताव आमंत्रित करने वाली सूचना को, जैसा कि ऊपर बताया गया है, कड़ी समय अनुसूची के कारण विदप्रनि द्वारा अनुमोदित दिल्ली के "क" श्रेणी मुद्रकों तक सीमित रखना पड़ा था।

गुजरात में कोयले को लाने-ले जाने के लिए वैगनों के कोटे में वृद्धि किया जाना

7196. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में कोयले को लाने-ले जाने के लिए वैगनों के कोटे को बढ़ाने के संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसे अंतिम रूप कब तक दे दिया जाएगा?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ): (क) रेलों ने कोयले के संचलन के लिए कोटे की सभी सीमाएं समाप्त कर दी हैं। गुजरात राज्य सहित राज्य सरकारों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उद्योगों के लिए कोयले का संचलन प्रायोजित करने के लिए कहा गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

Construction of Railway Station at Senthil Nagar, Madras

7197. SHRI N. GIRI PRASAD: Will the Minister RAILWAYS be pleased to refer to answer to Unstarred Question 2227 given in the Rajya Sabha on the 10th August, 1994 and state:

(a) whether it is a fact that the Southern Railway had conducted survey into the demand for opening of a halt station at Senthil Nagar and found that the traffic projections proved that the halt would be remunerative and had included the project with the estimated costs of Rs. 24 lakhs in the work programmes of 1992-93 and again in 1993-94; and

(b) if so, the reasons for not sanctioning the project in the budget for 1995-96, considering the popular demand and the feasibility of the project?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF): (a) and (b) The proposal for opening of a halt station at Senthil Nagar between Ambattur and Annanur stations was examined in the past. The proposal could not be approved due to substantial capital cost involved and heavy recurring losses. The work will be considered for inclusion in the future Works Porgramme, keeping the latest developments in view and subject to availability of funds.

रेल कर्मचारियों को पेंशन की देय धनराशि का भुगतान न किया जाना

7198. श्रीमती मालती शर्मा:
श्री राजनाथ सिंह:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शाहदरा-सहारनपुर रेलवे कंपनी के रेलवे में शामिल किए गए उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है, जो उनकी रेलवे कंपनी तथा उत्तर रेलवे में की गई सेवा को मिलाने के बाद सेवानिवृत्त हुए;

(ख) क्या यह सच है कि इस तथ्य के होते हुए भी, सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की दोनों सेवाओं को मिलाने के बाद उनकी पेंशन का भुगतान नहीं किया है कि नियमावली के नियम 405(1) के अनुसार भारतीय रेलवे में प्रवेश पाने वाले या सीधी नियुक्ति पाने वाले कंपनी के इन कर्मचारियों को पेंशन देने के प्रयोजनार्थ कंपनी तथा उत्तर रेलवे में उनके द्वारा की गई सेवाओं को मिलाया जाएगा; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर "हां" हो, तो सरकार द्वारा इन सभी कर्मचारियों के पेंशन संबंधी मामलों को निपटाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा होने वाले हैं तथा इन कर्मचारियों के पेंशन संबंधी मामलों का निपटान कब तक होने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ): (क) शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे कम्पनी के कर्मचारियों की रेलवे में भर्ती नव नियुक्तों के रूप में की गई थी, और उन्हें समाहित नहीं किया गया था। अत: मौजूदा आदेशों के अनुसार कम्पनी रेलवे में उनकी सेवाएं सेवानिवृत्त पर रेलवे सेवा में जोड़ी नहीं गई थी।

(ख) से (घ) शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे कर्मचारियों की रेलवे में नियुक्ति पर सेवा शर्तों को शासित करने वाले अनुदेश इस प्रमुख तथ्य को ध्यान में रखते हुए पृथक रूप से बनाए गए थे कि कम्पनी का सरकार ने परिसंपत्तियों और देयताओं सहित अधिग्रहण नहीं किया था। अत: उक्त अनुदेशों में रेल पेंशन नियम पुस्तिका के पैरा 405(1) में व्यवस्थित पेंशनीय लाभों के लिए कम्पनी रेलवे सेवा की गणना के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं की गई थी।

वैगनों के लिए बोली

7199. श्री दीपांकर मुखर्जी:
श्री मोहम्मद सलीम:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 10,282 वैगनों (एफडब्ल्यू.यू.) की निविदा की तुलना में 14 फरवरी, 1995 को सबसे कम बोली लगाने वाले व्यक्ति ने केवल 4056 एफडब्ल्यू.यू. का निर्माण करने की अपनी अधिष्ठापित क्षमता के बावजूद सभी वैगनों के लिए अपनी कोटेशन दी है; और